Fax/E-Mail

–आदेश–

W.P(S) No- 3793 of 2019 Jharkhand Police Men's Association Vs The State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक 07.10.2021 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड पुलिस के आरक्षी को ए.सी.पी. / एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रोन्नति प्रशिक्षण चर्या में हुए विलम्ब अवधि को क्षान्त करने के संबंध में आदेश।

W.P(S) No- 3793 of 2019 Jharkhand Police Men's Association Vs The State of Jharkhand & Ors. में पारित आदेश के आलोक में पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–711 / पी0, दिनांक–21.10.2021 के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची को प्रस्ताव भेजा गया। तदनुसार गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची का पत्र संख्या–4367, दिनांक 17.11.2021 के द्वारा निर्देश दिया गया है कि झारखण्ड पुलिस के आरक्षी को ए.सी.पी. / एम.ए.सी.पी. योजना का लाभ प्रदान किये जाने के लिए उनके प्रोन्नति प्रशिक्षण चर्या में हुए विलम्ब अवधि को क्षान्त करने हेतु योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची के द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ सहमति प्रदान की गई है :–

1. अनिवार्य प्रशिक्षण में हुए विलंब में संबंधित आरक्षी का स्वयं का काई दोष न रहा हो।
2. संबंधित आरक्षी द्वारा प्रथम बार में ही प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो।
3. यदि संबंधित आरक्षी द्वारा स्वयं प्रशिक्षण का त्याग किया गया हो, अथवा प्रशिक्षण में असफल रहा हो तो उसके मामले में क्षांति का प्रावधान लागू नहीं होगा।

अतएव इस संदर्भ में पूर्व में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–550 / पी0, दिनांक– 06.06.2019 को निरस्त करते हुए उपरोक्त शर्तों के अधीन आरक्षी कोटि के कर्मियों को ए.सी.पी. / एम.ए.सी.पी. का लाभ देने हेतु प्रशिक्षण में हुए विलम्ब को क्षान्त किया जाता है।

तदनुसार झारखण्ड पुलिस के पुलिसकर्मियों को ए.सी.पी. / एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,
के आदेशानुसार।

22/11/2021

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1196 / पी0

10—43—2019

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

राँची दिनांक- 17/11/2021 ई0

प्रतिलिपिः-

1. विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिदेशक, भ्र0नि0ब्यूरो / रेल, झारखंड, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अप0अनु0वि0 / वि0शा0 / झा0स0पु0 / संचार एवं तक0सेवाएँ, झारखंड, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक / रेल / मुख्यालय / मानवाधिकार / प्रशिक्षण / प्रोविजन / अभियान / अप0अनु0वि0 / वि0शा0 / संचार एवं तकनीकी सेवाएँ / झा0स0पु0 / एस0टी0एफ0, झारखंड, राँची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. निदेशक, झारखंड पुलिस अकादमी, हजारीबाग को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, झारखंड (विशेष शाखा / अप0अनु0वि0 / भ्र0नि0ब्यूरो / झारखंड, जगुआर / जे0ए0पी0टी0सी0, पदमा, हजारीबाग / जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट / झारखंड सशस्त्र पुलिस / संचार एवं तकनीकी सेवाएं / एस0सी0आर0बी0 एवं रेल सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
8. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची / धनबाद एवं जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
9. सभी पुलिस अधीक्षक, झारखंड,(विशेष शाखा / अप0अनु0वि0 / भ्र0नि0ब्यूरो / झारखंड, जगुआर / जे0ए0पी0टी0सी0, पदमा, हजारीबाग / जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट / संचार एवं तकनीकी सेवायें / ए0टी0एस0 / सी0टी0सी0, मुसाबनी / एस0आई0बी0 / आई0टी0एस0 एवं रेल धनबाद / रेल जमशेदपुर सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
10. सभी समादेष्टा, झारखंड सशस्त्र पुलिस / आई0आर0बी0 / एस.आई.आर.बी. / एस.आई.एस.एफ. को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
11. पुलिस उपाधीक्षक–सह–प्राचार्य, टी0टी0एस0, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
12. प्रभारी, एन0जी0ओ0, पुलिस मुख्यालय, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
13. प्रभारी, डाटा सेंटर पुलिस मुख्यालय, झारखंड, राँची को उक्त आदेश झारखंड पुलिस वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

17/11/2021

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
झारखण्ड, राँची।